वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम– 587

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 2637 दि. 20.09.12

आदेश

विषयः राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13(1)प्र.सं. / सन. / अनु–1 / 2012 / पार्ट–1, जयपुर दिनांक 18.07.2012 के अनुसार "राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012" को दिनांक 01 अगस्त 2012 से राज्य में प्रवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अधिनियम की धारा–3 के तहत सुनवाई स्तर एवं सुनवाई अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी पुनरीक्षण अधिकारी, 15 दिवस सुनवाई की नियत समय सीमा और परिवाद पर लिये गये निर्णय की संसूचना परिवादी को दिये जाने हेतु 7 दिवस की समय सीमा नियत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2012 के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रथम अपील के निस्तारण हेतु अधिकतम 21 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाई जा चुकी है।

अधिनियम प्रयोजना के संचालन हेतु नियम भी दिनांक 7 जून 2012 के गजट में प्रकाशित कर जारी कर दिये गये है। उक्त सभी अधिसूचनाएं, अधिनियम, नियम एवं फार्म आदि राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग की वैबसाईट पर भी जारी कर दिये गये है। आवश्यकता अनुसार इनकी प्रतियां राजस्थान सरकार की वैबसाईट www.rajasthan.gov.in, http://www.ard.rjasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार की वेबसाइट से अधिनियम, नियम एवं संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्राप्त कर अधिनियम की प्रभावी रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

19/9/12

(पी.एम. खत्री)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।